

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

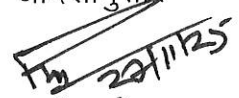
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
801	बिलासपुर	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव	प्राचार्य	सेजेश शा.उ.मा.वि.कन्या मस्तूरी, जिला बिलासपुर	शास.हाईस्कूल हिरी जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
802	सक्ती	श्री रामकृष्ण पटेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.मंडवा	शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल पेण्डरुवाँ जिला सक्ती

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

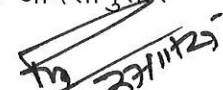
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
803	जांजगीर-चाम्पा	श्री राजेश कुमार शाण्डिल्य	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. तिलई	शा.उ.मा.शा. मटिया जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
804	सक्ती	श्री शिवकुमार गबेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. क.अड़भार	शास. उ.मा.वि. आमनदुला जिला सक्ती

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

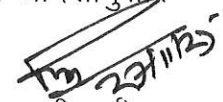
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
805	जांजगीर-चाम्पा	श्री रामकृष्ण भारती गोस्वामी	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. केरा	शा.उ.मा.वि. खरौद जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

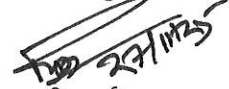
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
806	सक्ती	श्री रामकृष्ण पटेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.कोटमी	शा.कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल कोटमी जिला सक्ती

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
807	बिलासपुर	श्रीमती सीमा बघेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.सकर्ग, जिला बिलासपुर	शा. हाईस्कूल लोफंदी जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
808	जांजगीर-चाम्पा	श्री राज कुमार मधुकर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. झरना	शा.उ.मा.शा. किरारी बा. जिला सक्ती

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
809	बिलासपुर	श्री कमल किशोर सन्नोट	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.केन्दा, जिला बिलासपुर	हाईस्कूल मझवानी जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

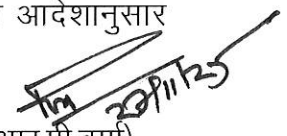
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
810	बिलासपुर	श्रीमती संतोषी नेताम	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.केन्दा, जिला बिलासपुर	शास.उ.मा.शाला बानाबेल जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

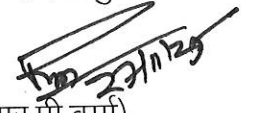
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
811	बिलासपुर	श्री रामेश्वर जायसवाल	प्राचार्य	जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा बिलासपुर	शा.उ.मा.शा.जेवरा जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
812	जांजगीर-चाम्पा	श्रीमती फुलेश्वरी राज	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. कोसमंदा	शा.उ.मा.वि. कमरीद जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
813	बिलासपुर	श्री उत्तम कुमार तिवारी	प्राचार्य	शा०उ०मा०वि० सेवार, जिला बिलासपुर	शा. हाईस्कूल बुंदेला जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
814	जांजगीर-चाम्पा	श्री रामभरोस थवाईत	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. नरियरा	शा.उ.मा.वि. बोरसी जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
815	बिलासपुर	पवन कुमार पटेल	प्राचार्य	सेजेश शा.बा. उच्च मा. वि.सीपत, जिला बिलासपुर	शा. हाईस्कूल मंजूरपहरी जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
816	जांजगीर-चाम्पा	श्रीमती रूख्मणी पाण्डेय	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. तागा	शा. हाईस्कूल गढ़वट जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
817	बिलासपुर	श्री राजेंद्र कुमार डहरिया	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. लोहर्सी सोन	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेश हिन्दी/अंग्रेजी शा.उ.मा.शा.बा०पचपेंडी जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

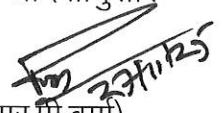
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
818	जांजगीर-चाम्पा	डॉ. शालिनी श्रीवास्तव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.क्रं.01 जांजगीर (सेजस)	शा.उ.मा.वि. बनारी जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
819	बिलासपुर	श्रीमती डिप्पल बघेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.सकर्मा, जिला बिलासपुर	शास.उ.मा.शाला भरारी जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
820	बिलासपुर	श्रीमती हेमलता वर्मा	प्राचार्य	सेजेश शा.उ.मा.वि.पंथी, जिला बिलासपुर	हाईस्कूल रांक जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
821	जांजगीर-चाम्पा	श्री इन्द्रभूषण जायसवाल	प्राचार्य	शा.हाईस्कूल पोड़ीकला	शा.हाईस्कूल सोठी जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
822	जांजगीर-चाम्पा	श्रीमती सुषमा शुक्ला	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. नवागढ़ (सेजस)	शास.हाईस्कूल सैदा जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
823	जांजगीर-चाम्पा	श्रीमती उषा राठौर	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. कोसमंदा	शा.उ.मा.वि. भोजपुर चाम्पा जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
824	जांजगीर-चाम्पा	श्री हरीश चन्द्र सुमन	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. झरना	शा.उ.मा.वि. ससहा जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
825	जांजगीर-चाम्पा	अंजूला सोनी	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. सोनसरी	शा.उ.मा.वि. किरारी जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
826	खै.छु.गं	श्री सुनील गुनी	प्राचार्य	डा.प.पु.ब.उ.मा.शा. खैरागढ़ (सेजेस)	शा. हाई स्कूल अमलीपारा जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमी)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
827	सरगुजा	श्री ललन प्रसाद सिंह	प्राचार्य	शा.बा.उ.मा.वि. करजी, अम्बिकापुर	शा0उ0मा0वि0 कुन्दीकला जिला सरगुजा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
828	बालोद	श्री सुभाष कुमार नायक	प्राचार्य	सेजेस लाटाबोड़ हिन्दी माध्यम	शास.हाईस्कूल कोलिहापुरी जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

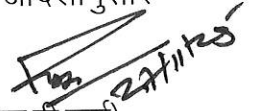
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
829	दुर्ग	श्रीमती धर्मावती वर्मा	प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि. उत्तई	शा.उ.मा.वि. मचान्दुर जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

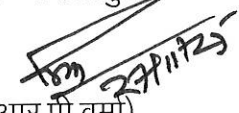
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
830	दुर्ग	श्रीमती रश्मि वैष्णव	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. कुथरेल	शा.हाईस्कूल ढौर जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
831	बेमेतरा	डॉ. कल्याण दास	प्राचार्य	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कुसमी	शा.उ.मा.शाला गोड़गिरी जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

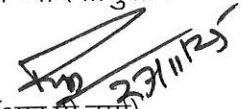
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
832	दुर्ग	श्री गोविन्द राम साहू	प्राचार्य	सेजेस अण्डा	शास.उ.मा.शा. परसबोड़ जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
833	बालोद	श्रीमती चैलेन्द्र साहू	प्राचार्य	सेजेस अंग्रेजी माध्यम गुरुर	शास.उ.मा.वि. दर्डा जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
834	दुर्ग	श्रीमती माधुरी पाल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. लिमतरा धमधा	शा.उ.मा.वि. अहेरी जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
835	दुर्ग	श्री नवीन कुमार देवांगन	प्राचार्य	सेजेस हिन्दी माध्यम पेण्ड्रावन	शास. हाई स्कूल बचेड़ी जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
836	बालोद	श्रीमती कविता जान	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बघमरा	शास. हाई स्कूल घुमका जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
837	दुर्ग	श्री विनोद कुमार सिन्हा	प्राचार्य	जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा दुर्ग	शास.उ.मा.शा. भैसातरा जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
838	बालोद	श्री घना राम देशमुख	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. ज.सांकरा	शासकीय उ.मा.वि. खरथुली जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

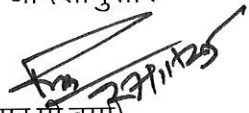
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
839	दुर्ग	श्रीमती निलिमा तिवारी	प्राचार्य	सेजेस उतई	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम कातरो जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
840	बालोद	श्रीमती श्याम कुमारी ध्रुव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बघमरा	शास. हाई स्कूल कोहंगाटोला जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
841	बेमेतरा	श्री महेन्द्र कुमार बंजारे	प्राचार्य	शा.बा.उ.मा.वि.नवागढ़	शा.उ.मा.शाला संबलपुर जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
842	बालोद	श्रीमती सुषमा पटेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.कमरौद	शा.उ.मा.वि.ईरागुड़ा जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
843	बालोद	श्री अरविंद कुमार यदू	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बघमरा	शास. उ.मा. हरठिमा जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

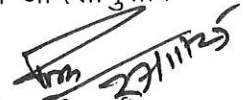
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
844	बालोद	श्रीमती ज्योति देशमुख	प्राचार्य	सेजेस झलमला हिन्दी माध्यम	शास. उ.मा. नेवारीकला जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

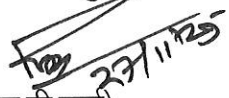
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
845	कोण्डागांव	श्री दीपेश प्रसाद	प्राचार्य	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लंजोड़ा	शा0उ0मा0वि0 बोरगांव जिला कोण्डागांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
846	कोण्डागांव	श्रीमती प्रतिमा पाण्डे	उप प्राचार्य	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लंजोड़ा	प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोण्डागांव उप प्राचार्य जिला कोण्डागांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
847	बस्तर	श्रीमती सुलोचना भूआर्य	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.पण्डरीपानी (सेजेस हिन्दी माध्यम)	शास.हाईस्कूल बाबूसेमरा जिला बस्तर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
848	दुर्ग	श्रीमती रीना रानी वानी	प्राचार्य	सेजेस निकुम	शा.उ.मा.वि.देवरी (ख) जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

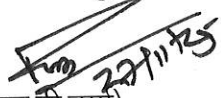
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
849	दुर्ग	श्रीमती भारती	प्राचार्य	सेजेस देवादा	शा.उ.मा.वि. भरर जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
850	रायपुर	श्रीमती सपना शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	शास.उ.मा.वि.चंगोराभाठा	प्रतिनियुक्ति पर, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
851	धमतरी	श्री रामानंद साहू	प्राचार्य	सेजेस हटकेशर हिन्दी माध्यम विद्यालय	शा.उ.मा.वि. डोमा जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
852	रायपुर	श्री संतोष कुमार शर्मा	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.कनकी	शास. हाई स्कूल मूरा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
853	ब.बा.-भाटापारा	सुश्री मीना ठाकुर	प्राचार्य	सेजेस गु.घा.शा.उ.मा.वि.कसडोल	मिनीमाता शास. कन्या उ. मा. वि. कसडोल जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्येधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
854	रायपुर	श्री ललित कुमार साहू	प्राचार्य	टी.बी.सी.	शा.उ.मा.वि. कचना जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
855	रायपुर	श्रीमती पुष्पा साहू	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.उपरवारा	शा.उ.मा.वि.राखी जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
856	ब.बा.- भाटापारा	श्री विशेराम मण्डलेश्वर	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.लवन	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजना अंतर्गत गुरु घासीदास विद्यालय कसडोल जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
857	रायपुर	श्रीमती प्रमिला सिंह	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. मानाबस्ती	शा0उ0मा0शा0 सुंदरकेरा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

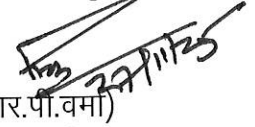
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
858	धमतरी	श्री चेनदास रात्रे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.खरतुली	शा.उ.मा.वि. छाती जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
859	रायपुर	श्रीमती गीता चौधरी	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. मानाबस्ती	शास.हाईस्कूल नवागांव कोलियारी जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
860	रायपुर	श्रीमती पुनम साहू	सहायक प्राध्यापक	शास.उ.मा.वि.जोरा	प्रतिनियुक्ति पर, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
861	रायपुर	श्री श्याम कुमार वर्मा	प्राचार्य	मातृसदन शास.उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम उ.मा.वि.मंदिर हसौद	शा.उ.मा.वि.टेकारी(कु.) जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
862	ब.बा.- भाटापारा	श्री कौशल किशोर साहू,	प्राचार्य	शा0उ0मा0वि0 बया	शास. उमावि गड़बेड़ा जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
863	ब.बा.-भाटापारा	श्रीमती शिखा रानी कोसले	प्राचार्य	शा.उच्च.मा.वि.(सेजेस) पलारी	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पलारी जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
864	ब.बा.- भाटापारा	श्री चुरामणी साहू	प्राचार्य	सेजेस शा.उ.मा.वि सेल	शास.उ. मा. वि. मोहतरा क जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

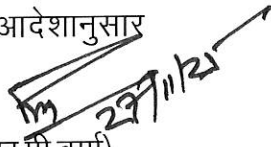
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
865	रायपुर	श्रीमती सिवनी सातपुते	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.बालक नरदहा	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बरबंदा जिला रायपुर जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
866	सारंगढ़ बिलाईगढ़	श्री धीरेन्द्र कुमार साहू	प्राचार्य	सेजेस पवनी	शास.हा.से. बेलटिकरी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
867	रायपुर	सुश्री कविता दीवान	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि..परसुलीडीह	शा0उ0मा0शा0 परसदा सोंठ जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
868	रायपुर	सुश्री कविता कृपलानी	सहायक प्राध्यापक	शास.उ.मा.वि.मानाबस्ती	प्रतिनियुक्ति पर, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
869	ब.बा.-भाटापारा	श्री केशव प्रसाद साहू	प्राचार्य	सेजेस गु.घा.शा.उ.मा.वि.(सेजेस) कसडोल	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाहोद जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
870	महासमुन्द	श्री महेश कुमार साहू	प्राचार्य	प्रतिनियुक्ति पर पी.एम.श्री सेजेस पिथौरा/शास.उ.मा.वि. झलप जिला महासमुन्द	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस पिथौरा जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
871	रायपुर	श्री शैलेन्द्र कुमार पटले	प्राचार्य	पीएमश्री सेजेस कुंरा	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय समोदा, वि.ख. आरंग जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
872	ब.बा.- भाटापारा	श्रीमती उमा वर्मा	प्राचार्य	शा.उच्च.मा.वि. (सेजेस) पलारी	शा.उ.मा.वि. दतान पजिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
873	महासमुन्द	श्री डमरूधर चौधरी	प्राचार्य	सेजेस बसना जिला महासमुन्द	शास.उ.मा.वि.गिधली जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

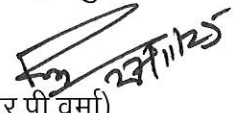
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
874	ब.बा.-भाटापारा	श्री गोविन्द राम नायक	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. चांदन	शास. हाई स्कूल मानद्वीप जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
875	सूरजपुर	श्रीमती संध्या दूबे	उप प्राचार्य	शा.क.उ.मा.वि.सूरजपुर	प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सूरजपुर उप प्राचार्य - जिला सूरजपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
876	खै.छु.गं	श्री दिलीप कुमार शर्मा	प्राचार्य	शा.हाईस्कूल लीमो	शा.उ.मा.शा. बागुर जिला खै.छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
877	बेमेतरा	श्रीमती रेखा सोनी	प्राचार्य	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय बेमेतरा	शास. हाई स्कूल कोबिया जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
878	बेमेतरा	श्री लूमन सिंह साहू	प्राचार्य	शास.बा.उ.मा.वि.बेमेतरा	शास.हाई स्कूल मोंगरी जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

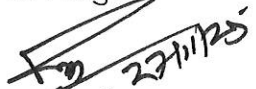
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
879	बेमेतरा	श्रीमती संध्या सिंह ठाकुर	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.बैजलपुर	शास. हाई स्कूल निनवा जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
880	बेमेतरा	श्रीमती उमा जोशी	प्राचार्य	शा.बा.उ.मा.वि.बेमेतरा	शास. हाई स्कूल लोलेसरा जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

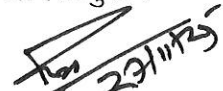
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
881	राजनांदगांव	श्रीमती कविता रामटेके	प्राचार्य	शा.बा.उ.मा.शाला डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	शास. हाई. कुतुलबोड भाठागांव जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

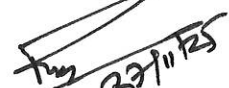
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
882	राजनांदगांव	श्रीमती इंदु बरगाह	प्राचार्य	शा.बा.उ.मा.शाला डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. मनेरी RMSA जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
883	रायपुर	श्री अशोक कुमार साहू	प्राचार्य	पीएमश्री हरिहर शास.उ.वि.गोबरा नवापारा	शास. उ.मा.वि बरोण्डा जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
884	जांजगीर-चाम्पा	श्री रामेश्वर प्रसाद कश्यप	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. शिवरीनारायण (सेजस)	शा.हाईस्कूल मेंहदी जिला जांजगीर-चाम्पा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

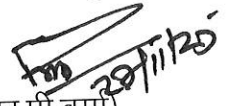
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
885	बिलासपुर	डॉ. चंद्रशेखर गुप्ता	प्राचार्य	सेजेस डी.के.पी. स्कूल कोटा, जिला बिलासपुर	हाईस्कूल धनरास जिला बिलासपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
886	खै.छु.गं	श्री नारायण कामड़े	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बालक छुईखदान(सेजेस)	शा.उ.मा.शा. अतरिया रोड जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
887	खै.छु.गं	श्रीमती उमा यादव	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बालक छुईखदान(सेजेस)	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम छुईखदान जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

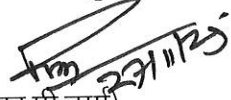
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
888	खै.छु.गं	किरन सिंह	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. बालक छुईखदान(सेजेस)	शा.उ.मा.वि. सेमरिया जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
889	रायगढ़	श्री वेदप्रकाश तिवारी	प्राचार्य	शास.कन्या. उ.मा.वि.कुसमुरा	शास.उ.मा.वि.झलमला जिला रायगढ़

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
890	रायगढ़	श्री अजय कुमार सिन्हा	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.किरोड़ीमल नगर	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस कोड़ातराई जिला रायगढ़

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
891	रायगढ़	श्री मनोज कुमार कुजूर	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.कोड़तराई	शास. हाई स्कूल तेलीपाली जिला रायगढ़

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
892	कबीरधाम	श्री अशोक कुमार गुप्ता	प्राचार्य	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय कवर्धा	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम कवर्धा जिला कबीरधाम

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
893	राजनांदगांव	श्रीकेश शर्मा	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.तिलई, जिला राजनांदगांव	शास. हाई. धौराभाठा RMSA जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वमा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
894	राजनांदगांव	श्री अनिल कुमार चौबे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. देवकट्टा, जिला-राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. मुरमुन्दा जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

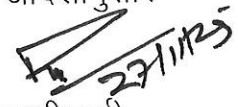
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
895	राजनांदगांव	श्री जयप्रकाश साहू	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि.सिंघोला, जिला राजनांदगांव	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम सुकुलदेहान जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

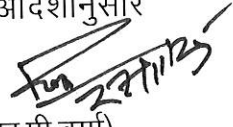
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
896	राजनांदगांव	श्रीमती अर्चना पाण्डे	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. तिलई, जिला राजनांदगांव	शास.उ.मा.शा. भानपुरी जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
897	खै.छु.गं	श्री अनिल कुमार जंधेल	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. अतरिया बाजार	शा. हाई स्कूल धिरघोली जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

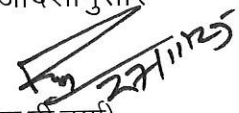
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
898	राजनांदगांव	श्रीमती कविता मेश्राम	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. (सेजेस) भर्गेगांव, जिला राजनांदगांव	शास. हाई. पेण्ड्री जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

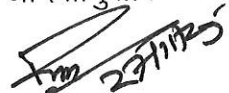
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
899	खै.छु.गं	श्री गुलाब सिंह मरकाम	प्राचार्य	शा.उ.मा.वि. अतरिया बाजार	शा. हाई स्कूल लछना जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
900	दुर्ग	संजय कुमार वर्मा	प्राचार्य	कार्या.जि.शि.अधि.दुर्ग	शा.उ.मा.शा. उदयपुर जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

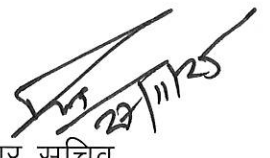
(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-65 / 2024 / 20-तीनः अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27 / 11 / 2025
प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 2/ निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 3/ मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 5/ संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 6/ संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर।
- 7/ प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छ.ग.रायपुर।
- 8/ समस्त कलेक्टर छ.ग.।
- 9/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, छ.ग.।
- 10/ प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ.ग.।
- 11/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 12/ समस्त प्राचार्य डाइट/बाइट छ.ग.।
- 13/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.।
- 14/ समस्त संबंधित प्राचार्य शा.हाई स्कूल/उ.मा.वि.....छ.ग.।
- 15/ सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री/.....छ.ग.।
- 16/ गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग